राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1321/2008/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरावंचन, वार्ड–प्रथम, वृत–द्वितीय, राजस्थान,
जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स रणधीर सिंह पुत्र श्री उदय सिंह, वाहन चालक
जरिये जिन्दल मार्केटिंग प्रा.लि.,
स्टेशन रोड, जयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ कैम्प जयपुर
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :
श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से
प्रत्यर्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 03/01/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), तृतीय वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 21/आरएसटी/1993–94/जी/04–05 में पारित आदेश दिनांक 16.08.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–प्रथम, वृत–द्वितीय, मुख्यालय, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.1993 के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत आरोपित शास्ति 59,311/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 30.07.1993 को सशक्त अधिकारी द्वारा वाहन संख्या एच.आर.–21/1525 को शिव मार्ग, करणी चारण छात्रावास के पास, बनीपार्क में चेक किया। वाहन में जी.पी. शीट्स लदी हुई थी। वाहन चालक द्वारा माल से संबंधित एक डिलीवरी चालान संख्या 295 दिनांक 30.07.1993 का प्रस्तुत किया जो मैसर्स जिन्दल मार्केटिंग प्रा.लि. स्टेशन रोड, जयपुर का था तथा उक्त चालान मैसर्स लक्ष्मण स्वरूप गुप्ता, जयपुर के नाम से बना हुआ था। वाहन चालक द्वारा बताया गया कि वह उक्त माल को बम्बई से भर कर लाया है किन्तु बम्बई की फर्म का कोई बिल इत्यादि प्रस्तुत करने में असमर्थता प्रकट की। इस प्रकार वाहन चालक के बयान के आधार पर प्रस्तुत दस्तावेजों में विरोधाभास होने के कारण प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी होने के संदेह में सशक्त अधिकारी द्वारा माल की कीमत रूपये 2,96,555/– पर धारा 22(ए)7 अधिनियम के तहत् 20 प्रतिशत की दर से शास्ति रूपये 59,311/– आरोपित की गई। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 16.08.2007 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

लगातार.....2

3. राजस्व पक्ष की बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. राजस्व पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त माल मैसर्स जिन्दल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बम्बई से मैसर्स जिन्दल मार्केटिंग प्रा.लि. जयपुर द्वारा चालान संख्या 5605 दिनांक 26.07.1993 के द्वारा मंगवाया गया था। सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को जारी किये गये नोटिस के क्रम में प्रत्यर्थी द्वारा उक्त माल से संबंधित गेट पास की प्रति, बिल्टी संख्या 1337 तथा एसटी18ए संख्या 225779 सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे। उक्त दस्तावेजों के अनुसार परिवहनित माल उपयुक्त दस्तावेजों द्वारा बम्बई से मंगवाया जाकर प्रत्यर्थी द्वारा अपने चालान से जयपुर स्थित फर्म को भिजवाया जा रहा था। अतः उक्त दस्तावेजों के आधार पर प्रत्यर्थी द्वारा करापवंचन किया जाना प्रतीत नहीं होता। सशक्त अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपण से पूर्व प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता की कोई जांच नहीं की गई। इस प्रकार करापवंचन की मनोदशा भी प्रमाणित नहीं की गई।

6. फलतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 16.08.2007 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष